



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22072026-274720
CG-MH-E-22072026-274720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

No. 580]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 639(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ए की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् गुजरात राज्य के जिला कच्छ में सामाखियाली गांधीधाम चौगुनी परियोजना (53.00 किमी) के निष्पादन के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी- भन्नाऊ, जिला कच्छ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई करने तथा ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा

सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उपधारा (I) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण:

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में सामाखियाली गांधीधाम चौगुनी परियोजना (53.00 किमी

क्रम संख्या	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	ज़मीन का प्रकार	ज़मीन की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	भचाऊ	सामाखियाली	261	निजी	कृषि	139
2	भचाऊ	सामाखियाली	260/2	निजी	कृषि	30
3	भचाऊ	सामाखियाली	260/1	निजी	कृषि	11
4	भचाऊ	सामाखियाली	259	निजी	कृषि	166
5	भचाऊ	सामाखियाली	258	निजी	कृषि	271
6	भचाऊ	सामाखियाली	257	निजी	कृषि	801
7	भचाऊ	सामाखियाली	256/2	निजी	कृषि	2114
8	भचाऊ	सामाखियाली	247/p	निजी	कृषि	1657
9	भचाऊ	सामाखियाली	524	सरकारी	गैर-कृषि	421
10	भचाऊ	भचाऊ	1099/2	निजी	कृषि	468
11	भचाऊ	वोंध	16/5	निजी	कृषि	1186
12	भचाऊ	वोंध	16/1	सरकारी	गैर-कृषि	600
13	भचाऊ	वोंध	71/3	निजी	कृषि	14
14	भचाऊ	वोंध	204/3	निजी	कृषि	460
15	भचाऊ	वोंध	284/1	निजी	कृषि	185
16	भचाऊ	वोंध	284/2	निजी	कृषि	241
17	भचाऊ	वोंध	285	निजी	कृषि	10
18	भचाऊ	वोंध	286/2	निजी	कृषि	129
19	भचाऊ	वोंध	562/5	निजी	कृषि	35
20	भचाऊ	वोंध	561	निजी	कृषि	12
21	भचाऊ	वोंध	553/8	निजी	कृषि	601
22	भचाऊ	वोंध	551/2	निजी	कृषि	229
23	भचाऊ	वोंध	551/1	निजी	कृषि	926
24	भचाऊ	वोंध	535/1	निजी	कृषि	1121
25	भचाऊ	वोंध	535/3	निजी	कृषि	669
26	भचाऊ	वोंध	534/2	निजी	कृषि	354

क्रम संख्या	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	ज़मीन का प्रकार	ज़मीन की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
27	भचाऊ	वोंध	534/1	निजी	कृषि	338
28	भचाऊ	वोंध	205/5	निजी	कृषि	101
			कुल ज़मीन (वर्ग मीटर में)			13289

[ई. फा. सं.- 665761]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th July, 2026

G.S.R. 639(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely Samakhiali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (i) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Bhachau, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Samakhiali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name of District: Kutch

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No	Type of land	Nature of land	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	Bhachau	Samakhiali	261	Private	Agriculture	139
2	Bhachau	Samakhiali	260/2	Private	Agriculture	30
3	Bhachau	Samakhiali	260/1	Private	Agriculture	11
4	Bhachau	Samakhiali	259	Private	Agriculture	166
5	Bhachau	Samakhiali	258	Private	Agriculture	271

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No	Type of land	Nature of land	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
6	Bhachau	Samakhiali	257	Private	Agriculture	801
7	Bhachau	Samakhiali	256/2	Private	Agriculture	2114
8	Bhachau	Samakhiali	247/P	Private	Agriculture	1657
9	Bhachau	Samakhiali	524	Govt	Non Agriculture	421
10	Bhachau	Bhachau	1099/2	Private	Agriculture	468
11	Bhachau	Vondh	16/5	Private	Agriculture	1186
12	Bhachau	Vondh	16/1	Govt	Non Agriculture	600
13	Bhachau	Vondh	71/3	Private	Agriculture	14
14	Bhachau	Vondh	204/3	Private	Agriculture	460
15	Bhachau	Vondh	284/1	Private	Agriculture	185
16	Bhachau	Vondh	284/2	Private	Agriculture	241
17	Bhachau	Vondh	285	Private	Agriculture	10
18	Bhachau	Vondh	286/2	Private	Agriculture	129
19	Bhachau	Vondh	562/5	Private	Agriculture	35
20	Bhachau	Vondh	561	Private	Agriculture	12
21	Bhachau	Vondh	553/8	Private	Agriculture	601
22	Bhachau	Vondh	551/2	Private	Agriculture	229
23	Bhachau	Vondh	551/1	Private	Agriculture	926
24	Bhachau	Vondh	535/1	Private	Agriculture	1121
25	Bhachau	Vondh	535/3	Private	Agriculture	669
26	Bhachau	Vondh	534/2	Private	Agriculture	354
27	Bhachau	Vondh	534/1	Private	Agriculture	338
28	Bhachau	Vondh	205/5	Private	Agriculture	101
				Total land in sqm		13289

[E. F. No.-665761]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager (Const)-II